



## बिहार विधान परिषद्

208वां शीतकालीन सत्र

तारांकित प्रश्न

29 नवम्बर, 2024

-----

[शिक्षा - विज्ञान एवं प्रावैधिकी - तकनीकी शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा खेल].

कुल प्रश्न 50

-----

### अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली

\*125 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है की वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न सेवाओं पर देय जी0 एस0टी0 दरों की सूची ऑफलाइन प्रकाशित है और ऑनलाइन भी प्रदर्शित है;

(ख) क्या यह सही है कि जी0एस0टी0 कानून की अनदेखी कर नामांकन एवं परीक्षा से संबंधित सेवाओं में "कर छूट" के बावजूद भी सूबे के सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा निजी एजेंसियों को करोड़ों रुपए के लोकधन का अनियमित भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय द्वारा वर्षवार लोकधन की क्षति को आकलन कर संबंधितों पर जवाबदेही तय करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

-----

## वेतन कटौती के आदेश को रद्द कब तक

\*126 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का बी.पी.एस.सी. द्वारा ली जा रही परीक्षा को लेकर अपने सम्बद्ध संगठन के आह्वान पर लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलनरत शिक्षकों का चुन-चुनकर वेतन कटौती किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आंदोलनरत नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार का हिंसा, सरकारी सामानों की क्षति या अन्य किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करने के बाद भी उनके मौलिक अधिकार का हनन करते हुए उनके वेतन की कटौती कर दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन नियोजित शिक्षकों की वेतन कटौती करने के आदेश को रद्द करते हुए उनके वेतन का भुगतान किये जाने का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

-----

### शत-प्रतिशत नामांकन

\*127 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर छात्रों का नामांकन नहीं होने के कारण सीटें खाली रह जाती हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो शैक्षणिक सत्र 2020 से लेकर 2024 तक अद्यतन कितनी सीटें विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों में खाली रह गई हैं तथा सीटों पर शत-प्रतिशत नामांकन हेतु भविष्य में सरकार की क्या योजना है, यदि नहीं तो क्यों ?

-----

### खिलाड़ियों को नौकरी

\*128 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए खेल की दुनिया में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार के होनहार खिलाड़ियों ने परचम लहराया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में खेल को लगातार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं हर सुविधा देने का कार्य

सरकार कर रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में विगत पाँच वर्षों में कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी उसकी अद्यतन जानकारी से सदन को अवगत कराना चाहती है; यदि हां तो कबतक ?

-----

### केंद्रीय विद्यालय हेतु प्रास्तव कबतक

**\*129 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले में अब तक केंद्रीय विद्यालय नहीं बना है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बनकट्टा sh सड़क के किनारे लगभग 7 एकड़ जमीन सैरात/ गड्डा के रूप में दर्ज है जिससे राजस्व की वसूली नगण्यासा है;

(ग) क्या यह सही है कि बनकट्टा sh के किनारे जमीन को सम परिवर्तन उपरांत केंद्रीय विद्यालय के मानक के अनुरूप है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों?

-----

### वेतन कटौती का भुगतान

**\*130 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चंपारण, जिलान्तर्गत बिना किसी कारण के 140 शिक्षकों का एक सप्ताह (07 दिन) का वेतन कटौती कर ली गयी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उनकी कटौती का भुगतान करना चाहती हैं ?

-----

### मानदेय का भुगतान

**\*131 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय रसोइयों को प्रति माह अत्यल्प 1650/- रु मासिक मानदेय राशि का भुगतान वर्ष में 10 माह का किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वेतन-मानदेय का भुगतान पर्व संपन्न होने के पूर्व भुगतान का आदेश दिया गया है इसके बावजूद राज्य के करीब 2.25 लाख विद्यालय रसोइयों को इस दीपावली-छठ पर्व के पूर्व सितम्बर-अक्टूबर माह के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अत्यल्प मानदेय भोगी इन गरीब विद्यालय रसोइयों का मानदेय अविलम्ब भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

----

### वरीयता का निर्धारण

\*132 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बी०पी०एस०सी० के द्वारा नियुक्त टी०आर० शिक्षकों का सरकार के बी०पी०एस०सी० के द्वारा नियुक्त टी०आर० शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बी०पी०एस०सी० नियुक्त टी०आर० शिक्षक ही वरीय होंगे;

(ग) क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बी०पी०एस०सी० के द्वारा नियुक्त टी०आर० शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

----

### स्नातकोत्तर विभाग की स्वीकृति

\*133 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा) :

श्री मो. सोहैब(विधान सभा) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय ,पटना की स्थापना बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976(संशोधित अधिनियम 1992)के तहत राज्य के अन्य परंपरागत विश्वविद्यालय के अनुरूप हुई है जिसका मुख्यालय पटना एवं कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-

1551 दिनांक- 24/07/2008 के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को अरबी एवं फारसी भाषाओं के साथ अन्य भाषाओं में भी पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की गई है परंतु राज्य सरकार द्वारा अभी तक इस विश्वविद्यालय के तहत केवल आठ(8) स्नातकोत्तर विभागों यथा अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पत्रकारिता, शिक्षा, प्रबंधन एवं इस्लामी अध्ययन की स्वीकृति दी गई है जो विश्वविद्यालय मुख्यालय पटना में संचालित है परंतु 07 नए स्नातकोत्तर विभागों यथा हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य एवं तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन का प्रस्ताव गत कई वर्षों से शिक्षा विभाग में लंबित है, जिस कारण इस विश्वविद्यालय का विधिवत निबंधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नहीं हो पा रहा है और जिस कारण इस विश्वविद्यालय को UGC, भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय अनुदान नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नए स्नातकोत्तर विभागों (Post Graduate Departments) की स्वीकृत प्रदान करने का विचार रखती है, जिनका विधिवत प्रस्ताव मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है और जो गत कई वर्षों से शिक्षा विभाग में लंबित है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

**\*134 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति, संरचनात्मक व्यवस्था में बदलाव सक्षमता वर्ग संचालन आदि कई प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार, राज्य में बच्चों की बड़ी संख्या है जिनमें अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है उन बच्चों को शैक्षिक रूप से बेहतर करने के लिए सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे स्कूल एवं शिक्षकों को अच्छे काम कर रहे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाना चाहती है ?

----

### पढ़ाई चालू कबतक

**\*135 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला मुख्यालय के थोड़े ही दूर पर बभनडीह में सेंट्रल स्कूल संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल के पास अभी तक अपनी भूमि नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि सेंट्रल स्कूल में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की पढ़ाई हेतु 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है;

(घ) क्या यह सही है कि जिला में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण हेतु छात्र-छात्राओं को दूसरे जिला तथा अन्य प्रदेश में जाना पड़ता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बभनडीह में संचालित सेंट्रल स्कूल को 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर वहां उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----

### बेसिक वेतन बढ़ाने पर विचार

**\*136 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है जिसमें बीपीएससी से कठिन परीक्षा पास कर 369 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 35000 रु बेसिक वेतन पर हुई है;

(ख) क्या यह सही है की जिस मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है उस मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षको का वेतन 35400 , स्नातक शिक्षक का 44900 रु है तथा प्रधानाध्यापकों का वेतन 47600रु है;

(ग) क्या यह सही है की विद्यालय अध्यापक नियमावली एवं विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार +2 वरीय अध्यापक एवं विशिष्ट +2वरीय शिक्षक का वेतन बेसिक वेतन 34000रु तय किया गया है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त 369 प्रधान अध्यापकों की पद की गरिमा ,कार्यभार एवं पदानुक्रम का ध्यान रखते हुए मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापको के बेसिक वेतन 47600 से अधिक करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ,नहीं तो क्यों ?

----

### शिक्षकों का स्थानांतरण

**\*137 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० 1729 दिनांक 07.10.2024 (स्थानांतरण/ पदस्थापन नीति से संबंधित) के कण्डिका-1 के क्रम-संख्या

(viii) में सभी पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके “गृह अनुमंडल छोड़कर” ही किये जाने का प्रावधानित है ;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में (08) जिले ऐसे हैं जहां 01 ही अनुमंडल है, जो जिला का सीमा-क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण/ पदस्थापन हेतु विषयांकित नियमावली का अनुसरण असंभव है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु “गृह अनुमंडल छोड़कर” की शर्त एवं बाध्यता को संशोधित करते हुए “गृह प्रखंड छोड़कर” करने का प्रावधान शिक्षकहित में करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

----

### आधारभूत संरचना, लिपिक एवं परिचारी कि व्यवस्था

**\*138 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिला के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के आधारभूत संरचना, लिपिक एवं परिचारी कि व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचना, लिपिक एवं परिचारी कि व्यवस्था नहीं रहने के कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पर रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिवान जिला के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आधारभूत संरचना, लिपिक एवं परिचारी कि व्यवस्था करने हेतु विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### नियमित भुगतान कबतक

**\*139 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में जब से रात्रि प्रहरी व कम्प्यूटर ऑपरेटरो की नियुक्ति का जिम्मा भिन्न-भिन्न एजेंन्सीयों के हाथों में दिया गया है, तब से इन कर्मियों का निर्धारित भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि एजेंन्सीयों द्वारा इन कर्मियों की नियुक्ति के समय से अब तक भुगतान नहीं मिलने के कारण इन्हें जीवन यापन करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत एजेंसीयों को इन कर्मियों के लिए नियुक्ति के समय से अबतक का भुगतान सहित प्रतिमाह नियमित भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### विषयवार शिक्षकों का प्रतिनियोजन

\*140 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रूपवती कन्या उच्च विद्यालय, सहरसा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की उपशाखा के रूप में कार्य कर रही है;

(ख) क्या यह सही है कि रूपवती कन्या उच्च विद्यालय में सरकार के द्वारा विषयवार पद स्वीकृत नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) मा० सं० वि० के पत्रांक- 200, दिनांक 31/05/93 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया था कि रूपवती कन्या उच्च विद्यालय प्रतिनियोजन से संचालित होगी;

(घ) क्या यह सही है कि विद्यालय में प्रतिनियोजन के अभाव में विषयवार पठन-पाठन बाधित है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रूपवती कन्या उच्च विद्यालय] सहरसा में विषयवार शिक्षकों का प्रतिनियोजन छात्र हित में कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों नहीं ?

----

### संपत्ती की जाँच एवं कार्रवाई

\*141 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में बालू के अवैध खनन पर रोक रहने के बावजूद भी अवैध बालू का खनन बढ़सतूर जारी है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है ;

(ख) क्या यह सही है कि अवैध बालू के खनन से जुड़े बालू माफियाओं के पास अवैध संपत्ति है जिसके कारण राज्य का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालू खनन पर लगे रोक को और धारदार बनाने एवं बालू माफियाओं की अकूत संपत्ती की जाँच एवं

कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

-----

### भवन निर्माण कबतक

**\*142 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा, जिला के रोह, प्रखंड अंतर्गत ग्राम-भीखमपुर में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराना है;

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम भीखमपुर में विद्यालय का भवन निर्माण कराने के लिए भूमि भी उपलब्ध है जिसका खाता संख्या-625, खेसरा संख्या-2280 रकवा 75 डि0 किस्म-अनावाद बिहार सरकार भूमि है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग भी किया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्द ही उपलब्ध कराकर विद्यालय का भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ,नही तो क्यों ?

-----

### स्नातक महाविद्यालयों को संबद्धता कबतक

**\*143 श्री मो. सोहैब (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना स्थापना बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (संशोधन अधिनियम 1992) के तहत राज्य के अन्य परम्परागत विश्वविद्यालयों के अनुरूप हुई है, जिसका मुख्यालय पटना है ;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-1551दिनांक-24.07.2008 के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को अरबी एवं फारसी भाषाओं के साथ अन्य विषयों में भी पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, परन्तु अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय के तहत केवल पटना में मात्र एक ही स्नातक महाविद्यालय को संबंधन दिया गया है जिसके कारण इस विश्वविद्यालय का समुचित विकास एवं विस्तार नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, जो कई वर्षों से शिक्षा विभाग में लंबित है, यदि हां तो कबतक ?

-----

### उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उर्दू मध्य विद्यालय में परिवर्तित

**\*144 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत लखनौर प्रखंड के तमुरिया पंचायत के ग्राम-सोनरे में 1960 के दशक से उर्दू मकतब का संचालन होता रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2023 में बिना किसी जांच के इस उर्दू मकतब को सामान्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बदल दिया गया है, जबकि अधिकतर शिक्षक उर्दू जानने वाले हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उर्दू मध्य विद्यालय में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों

-----

### गैर सरकारी पुस्तकालयों का अधिग्रहण

**\*145 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय निर्माण का लक्ष्य रखा है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व से ही अन्य ग्रामों में गैर सरकारी पुस्तकालय ग्रामीणों की कमेटी के सहयोग से संचालित हो रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि कुछ गैर सरकारी पुस्तकालय धन के अभाव एवं सही देखभाल नहीं होने के कारण बंद हो चुकी है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे सभी गैर सरकारी पुस्तकालयों का अधिग्रहण /रजिस्टर कर चालू कराना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### मानदेय का भुगतान

**\*146 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत खैरा बाजार-भूलही ग्राम एवं खरौली ग्राम में

नालन्दा संगीत कला विकास संस्थान के द्वारा तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दशहरा पर्व 2022 के अवसर पर करवाया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नालन्दा संगीत कला विकास संस्थान के द्वारा कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम के मानदेय का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

----

### मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन

**\*147 श्री आफाक अहमद (सारण शिक्षक):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को मार्च 2024 में ही भंग कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार तीन महीना के अन्दर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना था ;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है, तथा प्रशासक भी नहीं हैं;

(घ) क्या यह सही है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण बोर्ड के नीतिगत कार्य सहित किसी भी तरह का वित्तीय कार्य नहीं हो पा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन/अध्यक्ष की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

----

### महाविद्यालय को अतिक्रमण से मुक्त

**\*148 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय (अनिसाबाद) पटना की जमीन पर कुछ असमाजिक तत्व द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय परिसर में अतिक्रमण से छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन पर कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहती है ?

----

### निजी विद्यालयों पर कार्रवाई

\*149 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में बहुत से स्कूली छात्र हैं जिन्होंने सरकारी विद्यालय के साथ-साथ निजी विद्यालयों में भी दोहरा नामांकन कर रखा है;

(ख) क्या यह सही है कि दोहरा नामांकन करने वाले छात्रों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है तथा उसके वसूली के लिए सरकार के पास कोई उचित योजना है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन निजी विद्यालयों पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने ऐसे छात्रों का नामांकन अपने विद्यालय में लिया जो पहले से सरकारी विद्यालय में पंजीकृत है, यदि हां तो कबतक ?

----

### विश्वविद्यालय स्थापित कबतक

\*150 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में कोई विश्वविद्यालय नहीं है एवं गोपालगंज जिले के सभी सरकारी डिग्री कॉलेज जय प्रकाश विश्वविद्यालय के अधिन है जिसकी गोपालगंज से दूरी 100 कि.मी. से भी अधिक है;

(ख) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिले में कोई विश्वविद्यालय नहीं है एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिले के सभी सरकारी डिग्री कॉलेज बी० आर० अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अधिन है जिसकी पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) से दूरी 140 कि.मी. से भी अधिक है;

(ग) क्या यह सही है कि दोनो जिलो में संबंधित विश्वविद्यालय की कोई शाखा नहीं है एवं छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय जाने के लिए 100 कि.मी से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) के छात्रों की कठिनाइयों के मद्देनजर गोपालगंज जिले के यादवपुर या गोपालगंज और बेतिया जिले की सीमा पर नया विश्वविद्यालय स्थापित करने

का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### विद्यालय भवन का निर्माण

\*151 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा, अनुमंडल के प्रखंडों के प्राथमिक विद्यालय भवनहीन एवं भूमिहीन है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंडों के छात्र एवं छात्रायें खुले मैदान एवं पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के भवन सहित विद्यालय मुहैया कराने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### भ्रष्ट पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई

\*152 श्री सैयद फैसल अली (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड चिरैया प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी जो पदस्थापन के तीन वर्ष पुरा कर चुकें है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों से अनावश्यक रूप से डरा धमका कर मासिक वसूली की जाती है, विभागीय नियम का हवाला देते हुए शिक्षकों के साथ उसके वेतन बन्द करने और निलम्बन करते हुए प्रपत्र क गठित करने की हमेशा धमकी देते रहते है, जिससे प्रखण्ड में कार्य करने वाले हजारों शिक्षक इनके कू-कृत्य से मानसिक रूप से परेशान हो गए है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हटाते हुए विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### मकान किराया भत्ता एवं वेतन वृद्धि का लाभ

\*153 प्रो. संजय कुमार सिंह(तिरहुत शिक्षक) :

प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना) :

श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिलों के अनुरूप मकान किराया भत्ता का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों को मकान किराया के मद में मात्र 4 प्रतिशत ही भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई से निर्धारित किये जाने का प्रावधान रहने के बावजूद उन्हें वेतन वृद्धि 1 जुलाई से नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिलों के अनुरूप मकान किराया भत्ता एवं 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

----

### योजना का लाभ

**\*154 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसैली में वर्ष 2022 में नामांकित छात्र एवं छात्राओं को अब तक मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ नहीं मिल सका है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के नवंबर में राज्य के अधिकांश मध्य विद्यालयों का उत्क्रमित विद्यालय में उत्क्रमण किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि योजनाओं के लाभ हेतु उच्च विद्यालयों को यू डाइस कोड बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाता है एवं मेधा सॉफ्ट पोर्टल 2020-2021 पर आवेदन के लिए 4/3/2021 अंतिम तिथि थी;

(घ) क्या यह सही है कि यू डाइस कोड के लिए विलंब से अप्लाई करने के लिए सरकार उपर्युक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करना चाहती है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं को इस योजनाओं का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----

### परिवीक्षा अवधि से मुक्त

**\*155 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-3454 दिनांक 28.02.2024 के आलोक में आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष निर्धारित है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित नियम के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की जगह एक वर्ष निर्धारित करना चाहती है,

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षकों जो बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर परिवीक्षा अवधि से पूर्णतया मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

----

### प्रोन्नति / एम०ए०सी०पी० का लाभ

\*156 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को सरकार के द्वारा सेवा-शर्त-2020 प्रभावी है;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को जिनकी सेवा 08/12 वर्ष हो चुकी है उनके पद प्रोन्नति / एम०ए०सी०पी० की प्रोन्नति प्रावधान है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थानीय निकाय के शिक्षकों को जिनकी सेवा 08/12 वर्ष हो चुकी है उनके पद प्रोन्नति / एम०ए०सी०पी० देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

----

### पदोन्नति एवं अन्य सुविधायें

\*157 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज एवं कुछ अन्य जिलों में सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षक जो अपने नियोजन इकाई में ही कार्यरत है, उन्हें प्रोन्नति या अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन्हें पदोन्नति एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

----

## शिक्षकों का स्थानांतरण

\*158 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० 1729 दिनांक 07.10.2024 (स्थानांतरण/ पदस्थापन नीति से संबंधित) के कण्डिका-2 के क्रम संख्या-xii (क) में “नियमित शिक्षक, बी०पी०एस०सी० TRE-1 एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे” का उल्लेख है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमित शिक्षक, बी०पी०एस०सी० TRE-1 एवं 2 के शिक्षकों की तरह ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु कण्डिका-2 के क्रम संख्या-xii (क) में वर्णित लाभ प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

----

## निलंबन वापस कबतक

\*159 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बबुजन विशेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ,सुपौल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती नीतू सिंह को किसी के द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश देकर निलंबन मुख्यालय ,बेतिया कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आलोक में श्रीमती नीतू सिंह के द्वारा मांगी गई सूचना पर जिला पदाधिकारी ,सुपौल के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा ने ज्ञापांक- 2082-2 गो० दिनांक 25-10-2024 के द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती सिंह के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि श्रीमती नीतू सिंह, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित प्रधानाध्यापिका हैं;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,तो क्या सरकार मुख्य सचिव के पत्रांक- 9451, दिनांक- 24 जून 2005 के द्वारा निर्गत आदेश के प्रतिकूल बिना किसी आरोप के सम्मानित प्रधानाध्यापिका श्रीमती नीतू सिंह के निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही

से संबंधित विभागीय पत्रांक- 2288, दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को रद्द/निरस्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

-----

### स्टेडियम का निर्माण

\*160 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, **खेल** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पुनपुन जो अंतरराष्ट्रीय पितृ पक्ष मेले के लिये प्रसिद्ध है तथा राज्य की राजधानी पटना के बिलकुल पास पुनपुन नदी के किनारे अवस्थित है, साथ ही यहाँ एक कॉलेज एवं 7 (सात) उच्च विद्यालयों के अलावे (10+2) आवासीय छात्रावास है परन्तु इस इलाके में एक भी आउटडोर या इंडोर स्टेडियम नहीं है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनपुन में क्रिकेट एवं फुटबॉल के लिए आउटडोर तथा वॉलीबॉल एवं टेबल टेनिस हेतु इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?

-----

### पदाधिकारियों पर कार्रवाई

\*161 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):

क्या मंत्री, **कला, संस्कृति एवं युवा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गिद्धौर महोत्सव-2024 का आयोजन जिला प्रशासन, जमुई के द्वारा किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक-2/वि० 60-149/2023-854, दिनांक-10.09.2024 के द्वारा कुल राशि का 80 प्रतिशत बिहार के कलाकारों पर खर्च करने का निदेश दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त महोत्सव में विभागीय आदेश का पालन नहीं करते हुए बिहार के एक भी कलाकारों का चयन नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के कलाकारों का चयन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

-----

### मानदेय तय करने का प्रस्ताव

\*162 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मासिक मानदेय का भुगतान उनके खाता में डायरेक्ट भेजने की विभाग की योजना है ;

(ख) क्या यह सही है कि उनकी सेवा 60 साल की उम्र तक नियमित करने और न्यूनतम मजदूरी आधारित मानदेय तय करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को लागू करना चाहती हैं , यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### सेन्ट्रल स्कूल को भूमि उपलब्ध कबतक

**\*163 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के बभनडीह में आदर्श केंद्रीय विद्यालय संचालित है जिसका अबतक अपना भूमि नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि केंद्रीय विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पढ़ाई हेतु 05 एकड़ भूमि की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में कक्षा 01 से 10 तक पढ़ाई होती है तथा इसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण हेतु छात्र-छात्राओं को दूसरे जिला तथा अन्य प्रदेश जाना पड़ता है;

(घ) क्या यह सही है की केंद्रीय विद्यालय बभनडीह के भूमि उपलब्धता के संबंध में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं आयुक्त , मगध प्रमंडल का अनुशंसा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग से सहमती प्राप्त है;

(ड.) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार बभनडीह में संचालित केंद्रीय विद्यालय को 05 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई चालू कराने की विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं क्यों?

----

### मदरसों में बेंच-डेस्क की सुविधा

**\*164 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है बिहार सरकार के अधीन विद्यालयों में सरकार की ओर से बेंच, डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है परंतु सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों में बेंच डेस्क की सुविधा नहीं दी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि इन मदरसों में गरीब-गुरबा के बच्चों की बड़ी संख्या में शिक्षा ग्रहण करती है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी विद्यालयों की तरह मदरसों में भी बेंच-डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक ?

----

### टंड से बचाव की तैयारी

**\*165 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में 10 जनवरी 2024 से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई थी। 24 जनवरी 2024 को मुजफ्फरपुर जिले के मझौली स्थित एक स्कूल में छठी कक्षा के छात्र, लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के साइना स्थित एक स्कूल में 7 वर्षीय बच्चों तथा औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय के छठी कक्षा के एक छात्रा को टंड लगने की वजह से मौत हो गई थी। इन तीन मासूम छात्रों के मौत का जिम्मेवारी किसकी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार के पास इस वर्ष टंड से बचाव हेतु कौन सी योजना है?

----

### महाविद्यालय का सुचारु रूप से संचालन

**\*166 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला के योगमाया अजबलाल सिंह महाविद्यालय प्रसन्न हवेली खड़गपुर, महाविद्यालय, कोड-81013 के प्रभारी प्राचार्य श्री रामविरेश सिंह अपने निलंबन की अवस्था में दुसरे निलंबित शिक्षक श्री हरेन्द्र राय को 11.10.2023 को प्रभार दिया गया जिससे महाविद्यालय का संचालन ठप्प हो गया;

(ख) क्या यह सही है कि शासी निकाय / प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री रणबीर सिंह ने महाविद्यालय का सुचारु रूप से संचालन के लिए आपात बैठक बुलाकर प्रभारी प्राचार्य श्री मुकूल कुमार को दिनांक 27.12.2023 को प्रभार दिया तथा वरीय शिक्षिका श्रीमती किरण कुमारी राय के साथ संयुक्त खाता संचालन का अधिकार भी सौंपा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि निलंबित प्रभारी प्राचार्य श्री हरेन्द्र राय द्वारा जबरन चेक बुक कब्जा में रखने के कारण महाविद्यालय के विकास और अनुदान की राशि का बंटवारा नहीं किया जा रहा है जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त

महाविद्यालय का सही संचालन एवं अनुदान का बंटवारा करने के लिए निलंबित प्रभारी प्राचार्य श्री हरेन्द्र राय से चेक बुक लेकर श्री मुकूल कुमार को उपलब्ध कराना चाहती है?

-----

### वित्तीय सहायता/सुविधायें

**\*167 श्री सैयद फैसल अली (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **खेल** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के टार्जन कहे जाने वाले राजा यादव एक असाधारण प्रतिभाशाली युवक है;

(ख) क्या यह सही है कि पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले इस गरीब युवा, जो अपनी असाधारण दौड़ लगाने की प्रतिभा और सहनशक्ति के कारण खबरों में है और सोशल मीडिया पर छाये हुए है, उनसे सरकार के किसी भी अधिकारी के द्वारा संपर्क नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार इस प्रतिभाशाली युवक को कोई सुविधा या वित्तीय सहायता देना चाहती है ताकि वह अपने कौशल को और निखार सके और बिहार के लिए प्रशंसा, पुरस्कार और पदक ला सके, यदि हां तो कबतक?

-----

### सभी विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर की पढ़ाई कबतक

**\*168 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की अंगीभूत कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज में स्नातकोत्तर में मात्र गणित एवं राजनीति शास्त्र की पढ़ाई होती है;

(ख) क्या यह सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की अंगीभूत महाविद्यालय, महेंद्र महिला महाविद्यालय, गोपालगंज जिले का एकमात्र महिला महाविद्यालय है जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित विषयों के अलावा अन्य विषयों के पढ़ाई के लिए गोपालगंज जिले के छात्र-छात्राओं को सिवान /छपरा जिले में जाना पड़ता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज जिले के महेंद्र महिला महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में सभी विषयों की पढ़ाई एवं कमला राय कॉलेज में स्नातकोत्तर में विज्ञान की पढ़ाई को शुरू कराना चाहती हैं, यदि हां तो

कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### एम.ए.सी.पी. का लाभ

\*169 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के उच्च विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं परिचारी को 10, 20 एवं 30 वर्ष के सेवा अवधि पर एम.ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी में विगत एक वर्ष से संबंधित कर्मियों का आवेदन जिला कार्यालय में स्वीकृति हेतु समर्पित किये जाने के बावजूद आजतक उन्हें उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के उच्च विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं परिचारी को 10, 20 एवं 30 वर्ष के सेवा अवधि पर एम.ए.सी.पी. का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

----

### पुरास्थलों को संरक्षित स्थल घोषित

\*170 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के ईसहपुर एवं दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के कोठराडीह में जमीन के नीचे विशाल पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होने की सूचना है परन्तु स्थानीय स्तर पर जेसीबी एवं अन्य आधुनिक मशीनों से मिट्टी कटाई होने के कारण उक्त पुरावशेष के नष्ट होने की भी संभावना है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने स्वयं ईसहपुर पुरास्थल का स्थल निरीक्षण कर इसके उत्खनन हेतु कला संस्कृति विभाग से अनुरोध भी किया है;

(ग) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा के निदेश पर अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा कोठराडीह का स्थल निरीक्षण कर पुरातात्विक अवशेष मिलने की पुष्टि की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि अबतक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उक्त दोनों पुरास्थलों से संबंधित जमीन को संरक्षित स्थल घोषित नहीं किया गया है जिस कारण स्थानीय लोगों के द्वारा पुरास्थल को नुकसान पहुंचाने की संभावना खत्म नहीं हुई है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों पुरास्थलों को संरक्षित स्थल घोषित करते हुए पुरास्थल पर नुकसान नहीं पहुंचाना

सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारियों को निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

### कार्रवाई सुनिश्चित कबतक

\*171 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पत्रांक - 03/वी०7-11/2024 110 बिहार सरकार ने अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहले आओ पहले पाओ (First Come First Out) के सिद्धांत पर संचिका का निष्पादन किया जाए;

(ख) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, छपरा, सिवान, बेतिया एवं भागलपुर के कार्यालय में इसका पालन नहीं होता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या शिक्षा विभाग अपने द्वारा निर्देशित पत्र के उल्लंघनार्थ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, यदि हां तो कबतक ?

-----

### क्रीडा मैदान को अतिक्रमण मुक्त

\*172 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय नौबतपुर के पास अपना क्रीडा मैदान उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त क्रीडा मैदान अतिक्रमित है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्रीडा मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है , यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### शारीरिक अनुदेशकों को नियमित

\*173 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में “शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक” के तहत शारीरिक अनुदेशक के पद पर विभाग द्वारा योग्यता परीक्षा के आधार पर विधिवत नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि उन अनुदेशकों की योग्यता/ अहर्ता विद्यालयों में पूर्व से

कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के समतुल्य है परंतु उनके वेतन में बड़ी असमानता है ,

(ग) क्या यह सही है कि शारीरिक अनुदेशकों से पूर्ण विद्यालय अवधि तक कार्य लेने के उपरांत मानदेय के रूप में मात्र 8000/- रूपये प्रतिमाह एवं वार्षिक वृद्धि मात्र 200/- रू० देय है, जो कि अत्यंत ही कम है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शारीरिक अनुदेशकों को शारीरिक शिक्षकों के समान नियमित करने के लिए सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर उनकी सेवा को पूर्णकालिक करने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### तालिमी मर्कज/टोला सेवकों का वेतन भुगतान

\*174 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के लिए चयनित 34 शिक्षा सेवक (तालिमी मर्कज / टोला सेवक) विगत मार्च 2024 से योगदान के बाद अपनी सेवा सूचारू रूप से दे रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि चयनित 34 तालिमी मर्कज/ टोला सेवकों को अपने सेवा काल के आरंभ मे (मार्च 2024) से नवम्बर तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखण्डों (नौबतपूर, मनेर, बिहटा, धनरूआ, पुनपुन, फुलवारीशरीफ, दनियावां, बाढ़ एवं बख्तियारपूर) में कार्यरत 34 तालिमी मर्कज और टोला सेवकों के वेतन का भुगतान शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

-----

पटना- 800015.  
29 नवम्बर, 2024.

अखिलेश कुमार झा,  
सचिव, बिहार विधान परिषद्